

MESSAGES FROM LOK SABHA - *Contd.*

The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023

SECRETARY-GENERAL: Sir, I rise to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of Lok Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha at its sitting held on 7th August, 2023.”

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

STATUTORY RESOLUTION

#Disapproving the Government of National capital territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023

&

GOVERNMENT BILLS

**# The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023
and**

Amendments for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023 to a Select Committee of the Rajya Sabha — *Contd.*

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, I stand here to strongly oppose this Bill. Shri Narendra Modi is the first Prime Minister to be born in Independent India. It is a unique privilege. Shri Narendra Modi is the child of federalism. He was a Chief Minister; and we are told, a very successful one; some people say so. Some people say, he was not good; but whatever it is, he was a Chief Minister before he came to Delhi. He is a child of federalism. Why would a child of federalism mutilate federalism? ...*(Interruptions)*... Why? Why would a child of federalism come to Parliament and, in the last three years, ensure that about one-third of the Bills passed

Discussed together

here in Parliament is anti-federal. ...*(Interruptions)*... Why? ...*(Interruptions)*... Why would a child of federalism sanction Rs. 40,000 crores as a special budget for education, for higher education, and from those Rs. 40,000 crores, why would a child of federalism give only Rs. 700 crores to State Universities? ...*(Interruptions)*...

Sir, protect me because the time is limited. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Seven minutes.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, Shri Modi and his Cabinet believe in 'transactional federalism.' What do I mean by 'transactional federalism?' Quick message first from somebody, -- the BJD might listen to it -- namely, Shri Biju Patnaik. ...*(Interruptions)*... Shri Biju Patnaik said, "The Centre will also have to truly respect the federal nature of our Constitution." Sir, you don't do transactional federalism with Mamata Banerjee in Bengal. It won't work. ...*(Interruptions)*... We will oppose your Bill whether you give us the Rs. 12,000 crores which you owe us, Rs. 7,000 crores from MNREGA and Rs. 5,000 crores, otherwise or not. ...*(Interruptions)*... Transactional federalism चलेगा नहीं! ...*(Interruptions)*... On October, the 2nd, we will fight for the rights of the States, and for what is our right, we will not beg. We will have a big rally here for our Rs. 12,000 crores. ...*(Interruptions)*... Sir, you are sending delegations. You have sent 160 delegations in thirty months. You send delegations every time. What do you do in the BJP States? * you send a delegation there. * you send a delegation there. ...*(Interruptions)*... My question is, how many delegations do you send to Uttar Pradesh which has had the highest number of murders in this country? ...*(Interruptions)*... How many delegations do you send to Assam which has the highest crimes against women? How many delegations do you send to Madhya Pradesh which has*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, just a minute. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Member, you, perhaps, have to be reminded that you are speaking on a subject, and you would recollect that in last twenty minutes, three such points of order were raised and attention was invited. It is good for you to make a speech, a speech that can be impactful, perhaps outside. Here, the issue is very categorical. Would you please use your energy and intellect to focus on the issue? Please do that. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please; this is a political House. We will make political points. They cannot be allowed a free run. Yesterday, or the last time that we spoke, the Home Minister of India said, we have all come together...

MR. CHAIRMAN: You will make a political point, but you can't get away from the subject.

SHRI DEREK O'BRIEN: He said, we have all come together as INDIA, *jeetega Bharat*.

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek...

SHRI DEREK O'BRIEN: One minute, Sir. Let me finish. Sir,*

MR. CHAIRMAN: No. Mr. Derek, this is not the way to address the Chair. Take your seat for a minute. I told you repeatedly, don't engage in this activity. This does no good to anyone. We, in the House, have to maintain some kind of decorum, at least, for the Chair. I have given you the floor. ...*(Interruptions)*... Take your seat. Mr. Derek, you will believe in decorum and speak on the subject, on the issue. Go ahead.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am talking to you. We have all come together, according to one theory, because we are all for corruption! Look who is giving us lectures on corruption, Sir! This Government has three most important Ministers, the PM, the HM and the WM. He is not here today, the*.

MR. CHAIRMAN: That is deleted. That is expunged.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, let me tell you. Sir, please.

MR. CHAIRMAN: No. I will not allow this theatrics.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, please allow me to speak.

MR. CHAIRMAN: No, not this theatrics. ...*(Interruptions)*... This is not the way, to engage into this kind of theatrics.

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, theatrics? What happened in Maharashtra is theatrics.

MR. CHAIRMAN: No, no. You are in the process of ridiculing constitutional functionaries, by equating them with a * !

SHRI DEREK O'BRIEN: No, I did not.

MR. CHAIRMAN: What are you saying? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, what is going on? ...*(Interruptions)*... Sir, do you want to time the clock now? ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sorry, Mr. Derek O'Brien. If you don't keep to the subject, you may forfeit your right to make an address. You can't do it. You have to confine to the rules. ...*(Interruptions)*... Be within the rules. This is not done. This is just not done.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, my time. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Conclude now.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, this is the Government that talks about corruption. In Maharashtra, three weeks ago, the same people were saying that that side has got corruption. Now, the same people are saying, 'you have always belonged to us'. In other words, what? 'You were supposed to go to jail. Now you are with us'. So, both of you should be in jail actually. ...*(Interruptions)*... Because that is the logic ...*(Interruptions)*... Sir, that is the state of corruption. We heard yesterday in Lok Sabha, this Government was telling us about dynasty. I will give them a free idea of dynasty. You bring a Bill in Parliament and are saying, you can have only one Member, one person, from a family. Will they bring such a Bill in Parliament? Sir, they will not. ...*(Interruptions)*... Sir, let me finish. ...*(Interruptions)*... Protect me, Sir.

MR. CHAIRMAN: You have got one minute. ...*(Interruptions)*...

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, protect me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You invited it. ...*(Interruptions)*... Take your seats, all of you. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, give me two minutes. Let me speak. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Take your seat. ...*(Interruptions)*... Mr. Tiwari, please. We want decorum in the House. Take your seat. ...*(Interruptions)*... Would you please take your seat now? ...*(Interruptions)*... Hon. Members, we started discussion today with an expectation, which fructified also, that there will be decorum in the House. ...*(Interruptions)*... Can't you bear for some time? ...*(Interruptions)*.. Before you conclude ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I want to be decorous and conclude. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Don't conclude in a manner to put everything in disorder. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I will not say anything controversial. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Good enough. Last one minute.

SHRI DEREK O'BRIEN: We have a clear difference of opinion here on this Bill. That is why even a former Prime Minister has found it important enough to be present here to come and vote with us on the Bill. We acknowledge that. That is why a Member of the JDU has come in an ambulance. Shri Shibu Soren is here. He is also unwell. He has come here. So, I agree that we have a different view on the Bill. It is our view; it is their view. (*Time-bell rings.*)

MR. CHAIRMAN: Ms. Kavita Patidar ...*(Interruptions)*..

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Derek O'Brien is named by me. ...*(Interruptions)*... I name Mr. Derek O'Brien to leave the House immediately. ...*(Interruptions)*... I name him. ...*(Interruptions)*... This is the most ignoble conduct. ...*(Interruptions)*... This is mischievous conduct. ...*(Interruptions)*... No one expects a Member like you to get into this mode. ...*(Interruptions)*... This is conspiratorial. Mr. Derek O'Brien, your conduct in the House has been most ignoble and this has become your habit. You are doing it as a part of strategy. You think you will enjoy publicity outside. You have ravaged this House. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... Take your seat at your end. ...*(Interruptions)*... I will name you. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, you have seen a spectacle now. Are we in for such kind of conduct? Here is the Member who rises suddenly and engages into dramatics, theatrics. Are you here for this? ...*(Interruptions)*... Is it your Oath? ...*(Interruptions)*... Is it what the Leader of the Opposition has indicated to me that we will have a discussion of this nature? ...*(Interruptions)*... Such out-smarting never pays. I have had good interaction with the Leader of the Opposition and the Leader of the House. How can we countenance such a conduct? We are subject-matter of ridicule outside. Here is a Member, only to garner personal publicity and to make his presence felt, is engaging into this activity. ...*(Interruptions)*... I take a very strong note of it. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek O'Brien, bear this in mind. Already, the proceedings are suffering because of you; your demeanour was ignoble and your demeanour does not justify the position you hold. You are required to exemplify your conduct and this is what you do! What happens to the consensus we had in the House that on this issue we will have sober discussion? You have upset the entire decorous ecosystem of this House. ...*(Interruptions)*... You have done it for a purpose. ...*(Interruptions)*... Ms. Kavita Patidar ...*(Interruptions)*..

सुश्री कविता पाटीदार: माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस संशोधन बिल को सदन में रखा है। माननीय महोदय, एक तरफ देश के प्रधान मंत्री हैं, उनकी देश के हित में जैसी रीति है, वैसी उनकी नीति है। दूसरी तरफ यह विपक्ष है, जो अपने राजनैतिक स्वार्थ के चलते देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी पार्टी के निर्देश पर पश्चिमी बंगाल गई थी। मैंने वहां पर देखा था कि किस तरह से ये लोग आपस में लड़ते हैं और वहीं बेंगलुरु में जाकर गठबंधन करते हैं। वही दृश्य यहां सदन में भी है। हम रोज इस सदन में उपस्थित होते हैं, विभिन्न बिलों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इन्हें सदन से कोई लेना-देना नहीं है, सदन की कार्य प्रणाली से कोई लेना-देना नहीं है। पूरे वक्त विपक्ष का एक भी व्यक्ति इस सदन में उपस्थित नहीं होता है। ...*(व्यवधान)*...

8.00 P.M.

यह बात सिद्ध करती है, जो बात माननीय गृह मंत्री जी ने लोक सभा में कही थी कि इन्हें देश की जनता के हित से मतलब नहीं है, सिर्फ इनके गठबंधन से मतलब है। इनके ही नेता ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मैं न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा - इनकी कथनी और करनी में अंतर देखिए। दूसरी तरफ शीश महल खड़ा हो जाता है, जिसके भ्रष्टाचार की कहानी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी तरह से सदन में रखी है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत से संविधान संशोधन हुए हैं और 69वां संविधान संशोधन भी ये लोग ही लेकर आये हैं और उसी के तहत अनुच्छेद 229 (एए)(3बी) के तहत संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए, उससे संबंधित किसी भी विषय के लिए कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। मैं बालकृष्णन रिपोर्ट की भी बात करना चाहूंगी, जिसमें यह साफ कहा गया है कि दिल्ली की कार्य प्रणाली और सेवा प्रणाली केन्द्र सरकार के अधीन होगी। अब इन्होंने बहुत से हमारे अपनों की याद दिलाई। कुछ याद मैं इनको भी दिलाना चाहूंगी कि उस संविधान संशोधन में तत्कालीन गृह मंत्री, जो कांग्रेस के थे, उन्होंने इस बालकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया था और अपने वक्तव्य में क्वोट किया था कि हम इसे अपनाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं अपनायेंगे। ये लोग इसलिए नहीं अपनायेंगे, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है। ये देश के हित की बात कभी नहीं कर सकते। अभी ये लोकतंत्र की बात कर रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर की थी, जिनको ये आज भाई-भाई कहकर संगठित होने का काम कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... दूसरी बात यह है कि अभी एक माननीय सदस्य ने सदन में यह कहा था कि दिल्ली की विजय से केन्द्र की सरकार विचलित हो गई है। ...**(व्यवधान)**... महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश की करोड़ों जनता ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी को देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। ...**(व्यवधान)**... वे दिल्ली की विजय से विचलित नहीं हैं, बल्कि दिल्ली की आप सरकार की कार्यशैली से विचलित हैं, इनके भ्रष्टाचार से विचलित हैं, इनके कुकर्मों से विचलित हैं, दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए विचलित हैं।

आज महाभारत के दृश्य की भी बात कही गई। मैं इनको भी बताना चाहूंगी कि महाभारत में एक दृश्य और है, एक वक्तव्य और कहा गया है कि जब-जब इस धरती पर अधर्म होगा, तब-तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा। उसी प्रकार दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाने के लिए मोदी जी को आना पड़ेगा, माननीय अमित शाह जी को आना पड़ेगा, संशोधन बिल लाना पड़ेगा और इस संशोधन बिल के आधार पर दिल्ली की आप सरकार के अधर्म को मिटाना पड़ेगा। ये केन्द्र की सरकार पर आरोप लगाते हैं, यह तो वही बात हुई,

*"जिनके छोटे सिक्रे नहीं चले बाजार में,
वे कमियां निकाल रहे हैं सोने के किरदार में।"*

यह सोने का किरदार है, कितनी भी आग लगा लो, तपकर और निखर कर ही बाहर आएगा। महोदय, मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूँ तथा माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी को दिल्ली की इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर, गंभीरतापूर्वक इस बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और अंत में इतना जरूर कहना चाहती हूँ,

*"धारा 370 को हटाकर, देश को जोड़ने वाले हैं हम,
अब आपकी नीतियों से देश टूटने नहीं देंगे,
ये प्रधान मंत्री और गृह मंत्री कुछ और हैं जनाब,
ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे, ये आपको दिल्ली लूटने नहीं देंगे।"*

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री रामदास अठावले।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : सभापति महोदय, इस सभागृह में बहुत ही important बिल पर चर्चा हो रही है। भारत के संविधान ने केन्द्र की सरकार को जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को दिल्ली सरकार द्वारा छीनने की कोशिश हो रही थी। इसीलिए अमित शाह जी को यह बिल लाना पड़ा है। डा. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यहीं सेंट्रल हॉल में रोज संविधान सभा होती थी और उसमें दिल्ली केन्द्र शासित थी। केन्द्र सरकार को दिल्ली की सरकार को हेंडल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यह संविधान सभा ने पास किया है। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ कि वे क्यों आप सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं? आप संविधान को मानने वाले लोग हैं, ऐसा आप बोलते हैं। आपने 70 साल तक राज किया है, जब आपका राज था तब भी अधिकार आपके पास थे, जब आपकी सरकार थी, तब अधिकार आपके पास थे, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी अधिकार केन्द्र सरकार के पास थे, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी अधिकार केन्द्र सरकार के पास थे। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बहुमत मिला, यह बहुत अच्छी बात है, केजरीवाल जी हमारे अच्छे मित्र हैं, अन्ना हजारे साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसी आंदोलन में वे भी रहे, उसके बारे में हमारे मन में बड़ा आदर है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आंदोलन किया। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ,

*"अमित भाई का इतना अच्छा आ गया है बिल,
लेकिन सामने वालों को हो रहा है फील,
नरेन्द्र मोदी जी के पास है बहुत ही अच्छी विल,
लेकिन दिल्ली में हो रही है दारू के ठेके की डील,
माननीय नरेन्द्र मोदी जी और अमित शाह जी की
बहुत ही अच्छी बन गई है जोड़ी,
फिर कांग्रेस वालों की और आप वालों की कैसे आगे जाएगी गाड़ी।"*

नरेन्द्र मोदी जी जानते हैं जनता की नाड़ी, इसलिए बढ़ाई है मैंने दाढ़ी।"

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय, यह बिल बहुत ही important है। भारत के संविधान की रक्षा करने वाला यह बिल है। मैं सभी सामने वालों को बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग एक साथ आए हैं, यह अच्छी बात है। मैं भी आपके साथ था, अब मैं नहीं हूँ, आप क्यों उनके साथ जाते हैं? ठीक बात है, आप सब लोग एक साथ आए हैं, लोकतंत्र में आपको अधिकार है। लोकतंत्र में आपको हमें हराने का अधिकार है, हमें आपको हराने का अधिकार है। आप इन्हें हराते-हराते सत्ता पर बैठे हैं, अब नरेन्द्र मोदी जी सत्ता में आए हैं, नरेन्द्र मोदी जी किसी का विरोध नहीं करते हैं। ...(व्यवधान)...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): Sir, he is not speaking on the Bill. ...(Interruptions)...

श्री रामदास अठावले : नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब का संविधान बदलने वाले नहीं हैं। नरेन्द्र मोदी जी बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करते हैं। ...(व्यवधान)... इसीलिए मैं आपको ...(समय की घंटी)...

श्री सभापति: ऑनरेबल मिनिस्टर...

श्री रामदास अठावले : यह जो बिल है, इस पर आप लोग बिना मतलब हंगामा कर रहे हैं। आप हंगामा करते-करते उधर ही बैठो, हम इधर बैठने वाले हैं। इसीलिए शांति से चर्चा होनी चाहिए, एक-दूसरे की बात सुननी भी चाहिए। सर, जब से आप आये हैं, आप सबको डांटते भी हैं, सबसे प्यार भी करते हैं। आप हाउस भी चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाउस भी चलना चाहिए और 2024 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार भी चलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी सरकार भी चलेगी। इसीलिए मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं अपोजिशन को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आप लोगों को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए। यह विधेयक सर्व सम्मति से पास होना चाहिए, यह मैं आपसे अपील करता हूँ। जय भीम, जय भारत!

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as per the List of Business, the Statutory Resolution Disapproving the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Ordinance, 2023 was listed in the name of 12 hon. Members. As per practice and parliamentary conventions, the names of the listed Members are called by the Chair successively and the Member who moves the Resolution becomes the mover of the Resolution and the rest of the names thereafter become infructuous. The mover of the Resolution also gets the right to reply after participation of Members in the Discussion. In the instant case, Shri A.D. Singh has moved the Statutory

Resolution, and, therefore, I now call upon Shri A.D. Singh to reply to the discussion. Thereafter, the hon. Minister will reply to the debate. Shri A.D. Singh.

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, with your permission, I have already moved the Statutory Resolution. I will start with the Constitution Bench judgment in the matter of D.C. Wadhwa *versus* State of Bihar. It held that the power of the executive to promulgate an Ordinance should not be perverted to serve the political ends.

I heard the debate from both the sides, from our side and from the side of the Ruling Party. It reminds me of the BJP saying that they are a party with a difference. Hence, I congratulate the hon. Home Minister. You have brought a similar Bill with a change which has never occurred in any democratic set-up. I will not repeat many things that Singhvi ji has said or Chidambaram ji has said and what many other Members have said because it will be too repetitive. My question to the hon. Home Minister is this. What is the sanctity of a party manifesto? A party manifesto says that if we come to power, we will try to fulfill the aspirations of the people. The Bill is peculiar. The triple chain, about which many of our colleagues in the Opposition have said, means that it will be the work of the Lieutenant Governor and the Union Home Ministry to implement the manifesto of the Aam Aadmi Party. It is very clear that bureaucrats will not listen to the Chief Minister and his people. In any case, I have a very low opinion of the IAS in this country. A whole lot of my friends have been at the helm of affairs. I don't want to name them. The steel frame of British imperialism is not even the plastic frame of Indian democracy. Besides, the IAS is such that it denotes three things -- I am sure; I am safe; and I agree, Sir. Instead of being subservient to the social goals of the society, they are normally subservient to all the legal and no-so-legal acts of the Ruling Party whether it is our side or whether it is that side. It is a very peculiar situation. The Ruling Party and we also talk about democratic values that were enshrined in Bihar's Licchavi dynasty. We shout all over the world that we are the largest democracy. One of the lady Members from the Ruling Party just mentioned that they did a great job by abolishing Article 370. But let me brief the House that under the Congress Rule and even under Atal ji's leadership, Article 370 was diluted so much that it only remained a piece of paper. Unless we win the hearts of the people of Jammu and Kashmir, nothing will happen. After four years, we are still keeping people under house arrest there. I do not know whether we want to serve as a democratic nation or we want to finish the democratic sentiments.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.D. SINGH: One of our senior Ministers talked about how much money they were giving for different things to the Delhi Government. Unfortunately, they never tell us that in the last nine years, they have written off Rs.12 lakh crore of corporate debt. That money could have been used for enhancing irrigation facility, welfare schemes and making cold chain. But nothing is there.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A.D. SINGH: Let me speak, Sir. The Resolution is mine; hence, give me the opportunity to speak. Who were these corporates? Sometimes, banks don't do proper due diligence. I come from Bombay as an industrialist, have lunch or dinner with the relevant people and take out Rs.10,000 crore. Amount of Rs.12 lakh crore is a lot. I saw the list. After recovery, it was Rs.12 lakh crore. In most of the cases, the recovery was just ten per cent. So, I do not know in which direction you are going. ...*(Interruptions)*... One minute! ...*(Interruptions)*... Allow me to speak. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, you are getting into irrelevance. ...*(Interruptions)*... Confine to the subject.*(Interruptions)*...

SHRI A.D. SINGH: Sir, I am just concluding. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is expected of a senior Member like you to confine to the focus area and conclude.

SHRI A.D. SINGH: I am focusing on the Bill only. ...*(Interruptions)*... On the one side, we are saying that we will become the third largest economy and, on the other side, we are feeding 800 million people. So, we have two Indias. We have to see the other India, not the rich India but the poor India.

MR. CHAIRMAN: Would you confine to your Resolution?

SHRI A.D. SINGH: On the Bill, many Members from our side have spoken. So, I don't want to be repetitive.

MR. CHAIRMAN: You confine to the Resolution. It is straight and simple. You have to confine to that.

SHRI A.D. SINGH: Okay. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Amit Shah to reply to the discussion.

गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय सभापति महोदय, आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, उस बिल की चर्चा में, डा. अभिषेक मनु सिंघवी जी से लेकर श्रीमान अठावले जी तक, 34 सम्माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। चर्चा के समय सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी समझ के हिसाब से पक्ष और विपक्ष, दोनों में विचार रखे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बिल का उद्देश्य केवल और केवल दिल्ली में सुचारु रूप से, भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन है। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन होने में विरोध है, तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मगर मैं आप सभी को इतना जरूर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस बिल के एक भी प्रावधान से, मान्यवर, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बिल के एक भी प्रावधान से पहले जो व्यवस्था थी, जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस व्यवस्था में किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, इसका मूल उद्देश्य महामहिम राष्ट्रपति जी के 19 मई, 2023 के, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े अध्यादेश से, जो उन्होंने प्रख्यापित किया था, बनी हुई व्यवस्था के स्थान पर विधि द्वारा बनी हुई व्यवस्था को प्रस्थापित करना है। इसी मूल उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मैं माननीय सदस्यों की सारी बातों का डिटेल् में जवाब दूंगा - यह बिल क्यों लाना पड़ा, अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी, यह बिल कैसे संविधान सम्मत है या यह बिल कैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से वायलेट नहीं करता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं जरूर दूंगा।

माननीय महोदय, चूंकि इस सदन ने इतनी लम्बी चर्चा की है, इसलिए मैं थोड़े शब्दों में दिल्ली की स्थिति को जरूर इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। मान्यवर, दिल्ली कई मायनों में सभी राज्यों से अलग प्रदेश है, क्योंकि यहाँ संसद भवन भी है, कई सारे इंस्टीट्यूशंस का स्टेटस एन्जॉय करने वाली संवैधानिक हस्तियाँ यहाँ विराजमान होती हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज हैं और दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करने के लिए यहाँ पर बार-बार आते हैं। मान्यवर, इसीलिए दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर यहाँ की सरकार को सीमित मात्रा में अधिकार दिये गये हैं। दिल्ली असेम्बली के साथ, मगर सीमित अधिकारों के साथ, एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए आगे से जिसको भी दिल्ली में चुनाव लड़ना है, उसे दिल्ली के इस एक कैरेक्टर को समझना चाहिए।

मान्यवर, जब मैं पंचायत का चुनाव लड़ता हूँ और पार्लियामेंट के अधिकारों की माँग करता हूँ, तो संवैधानिक रूप से ये पूरे नहीं हो सकते। हम जब दिल्ली के एमएलए का चुनाव लड़ते हैं या चीफ मिनिस्टर के पद की दावेदारी करते हैं, तब हमें मालूम होना चाहिए कि यह एक यूनियन टेरिटरी है। सपना तो मुझे कोई भी आ सकता है, मगर मैं जो चुनाव लड़ता हूँ, उसके हिसाब से भी वे स्वप्न पूरे हो सकते हैं। अगर देश का प्रधान मंत्री बनना है, तो संसद का चुनाव लड़ना पड़ता है - वह दिल्ली के एमएलए के चुनाव से नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज़रा दिल्ली के शासन का इतिहास भी बताना चाहता हूँ। स्वतंत्रता पूर्व भी दिल्ली कई सालों से किसी न किसी प्रकार से देश की सत्ता का केन्द्र रही, राजधानी रही। अगर नजदीक के भूतकाल में चले जाइए, तो 1911 में दिल्ली तहसील और महरौली थाना, इन दोनों को अलग करके राजधानी बनाया गया। बाद में वर्ष 1919 और 1935 के अधिनियमों में उस वक्त की ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली को Chief Commissioner's Province माना। स्वतंत्रता के समय में जब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस वक्त दिल्ली के स्टेटस के बारे में पट्टाभि सीतारमैया और बाबा साहेब अम्बेडकर की एक कमेटी बनी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिल्ली की स्थिति को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया। माननीय सभापति महोदय, पट्टाभि सीतारमैया समिति ने दिल्ली को लगभग राज्य स्तर का दर्जा देने की सिफारिश की थी। उसी कमेटी की चर्चा के वक्त पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी, डा. राजेन्द्र प्रसाद और स्वयं डा. अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इसका अलग-अलग तर्क देकर विरोध किया था। मान्यवर, 1949 में संविधान के अंतिम मसौदे के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष को भेजी गयी डा. अम्बेडकर की रिपोर्ट का मैं एक पैरा पढ़ना चाहता हूँ। "जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजधानी के रूप में शायद ही किसी स्थानीय प्रशासन के अधीन दिल्ली को रखा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद राजधानी के सम्बन्ध में पूर्ण विधायी शक्ति का अधिकार रखती है, आस्ट्रेलिया में भी ऐसा है।" आगे अम्बेडकर जी की रिपोर्ट कहती है कि, "किसी विशेष क्षेत्र के मामले में क्या किया जाना है, यह राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे, निःसंदेह वह अन्य मामलों की तरह इसमें भी जिम्मेदार मंत्रियों की सलाह पर काम करेंगे। यदि वे चाहें तो दिल्ली में एक उपराज्यपाल रख सकते हैं व आदेश द्वारा एक स्थानीय विधायिका भी बन सकती है और इसके संगठन एवं शक्तियों का प्रावधान संसद कर सकती है।

मान्यवर, श्रीमान् मनोज जी ने कहा कि मैं कोटेशन को पढ़ाता हूँ। मनोज जी, अगर इसी प्रकार के कोटेशन का इंटरप्रेटेशन आप जेएनयू में पढ़ाते होंगे, तो विद्यार्थियों की बुरी गत होती होगी। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, कोटेशन का रेफरेंस कई मायनों में बदलता है, मगर भौगोलिक स्थिति और राजधानी का अस्तित्व, यह तो आज भी वही है। यह जो रिपोर्ट है, वह इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के साथ सहमत नहीं थी कि दिल्ली राजधानी क्षेत्र है। मनोज जी, जरा सदन को समझा दें कि क्या आज दिल्ली राजधानी नहीं है या आज दिल्ली की राजधानी का महत्व समाप्त हो चुका है! मनोज जी, कुछ ऐसे भी क्वोटेशन्स होते हैं, जो पृथ्वी के अंत तक सत्य सनातन होते हैं, बदलते नहीं हैं।

मान्यवर, स्वतंत्रता के बाद Government of Part C States Act, 1951 से दिल्ली को विधान सभा दी गई, किंतु विधान सभा की शक्तियाँ सीमित एवं संसद के कानून के तहत रखी गईं। यह भी सोच-समझ कर किया गया। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार

पर दिल्ली में विधान सभा को भंग कर दिया गया और दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। लगभग तीन दशक तक यह व्यवस्था चलती रही। 1987 में सरकारिया कमेटी बनी, जो बाद में बालकृष्णन कमेटी में परिवर्तित हुई और उसमें 1991 में 69वाँ संविधान संशोधन करके संविधान में धारा 239(एए) डाली गई और दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। मैं इस बात पर पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि दिल्ली के reference में जब भी संविधान का जिक्र करते हैं दिल्ली के शासन के लिए मिले हुए अधिकारों के लिए, तब संविधान में धारा 239(एए) को पढ़ना होगा, क्योंकि यह विशेष धारा है, जो यूटी राजधानी क्षेत्र को व्याख्यायित करती है और उसकी शासन संबंधी सभी व्यवस्थाओं को इसमें वर्णित किया गया है। अब इसमें आप यहाँ पर ऐसा भाषण करेंगे कि आज दिल्ली की बारी है, कल ओडिशा की है, आज दिल्ली की बारी है, कल आंध्र प्रदेश की है, आज दिल्ली की बारी है, कल फलां राज्य की है - कोई संसद सदस्य ऐसी बातें सुन कर अपना मत नहीं बदलेगा, राघव जी। आप जरा भी चिंता नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग समझते हैं और सभी लोग चीजों को जानते भी हैं। सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के बदलाव किसी राज्य में नहीं हो सकते, ये यूटी में ही हो सकते हैं। मगर इसमें राज्य और यूटी की प्रॉब्लम नहीं है। हम यूटी में हैं, यूटी का चुनाव लड़े हैं और राज्य की पावर एन्जॉय करना चाहते हैं - यह प्रॉब्लम है। मान्यवर, इस प्रॉब्लम का कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है, दिल्ली की जनता के पास भी नहीं है, इस सदन के पास भी नहीं है, बल्कि इन्हें अपनी मानसिकता को ही बदलना पड़ेगा, सीमित करना पड़ेगा, संयत करना पड़ेगा, तब जाकर इसका रास्ता निकलेगा।

मान्यवर, बाद में यह हुआ कि 1991 से 2015 तक ऊपर-नीचे, यानी, कई बार एक दल की सरकार आई, कई बार विपक्ष की सरकार आई। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहता हूँ कि इस बिल से ट्रांसफर-पोस्टिंग की सेवाओं के काम के लिए जो अधिकारों का वर्णन किया गया है - ये सारे अधिकार प्रैक्टिस में यहीं पर ऐसे ही चलते थे। 1991 से लेकर 2015 के बीच मदनलाल खुराना जी मुख्य मंत्री रहे, फिर साहिब सिंह वर्मा जी मुख्य मंत्री बने, फिर थोड़े समय के लिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी मुख्य मंत्री बनीं, फिर शीला दीक्षित जी मुख्य मंत्री बनीं, मगर किसी का केन्द्र सरकार से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब लोग विकास करना चाहते थे, ये सब पावर नहीं लेना चाहते थे। मान्यवर, उस वक्त कई बार काँग्रेस की सरकार थी और हमारी सरकार ऊपर रही, कई बार हमारी सरकार नीचे थी, काँग्रेस की सरकार ऊपर रही, लेकिन ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। उस वक्त इसी व्यवस्था से निर्णय होते थे और किसी मुख्य मंत्री को कोई तकलीफ नहीं थी। मगर 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार आई और फिर कई सदस्यों ने बताया कि केन्द्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। महोदय, केन्द्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, 130 करोड़ जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दी है। हमें यह अधिकार भारत की जनता ने दिया है और कई राज्यों में, पूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। हमें कोई पावर लेने की जरूरत नहीं है। हम यह बिल केन्द्र के पास पावर लाने के लिए नहीं लाए, बल्कि केन्द्र की दी हुई पावर पर दिल्ली, यूटी की सरकार अतिक्रमण करती है, इसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए लाए हैं। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के लंबे-चौड़े सुंदर-सुंदर अंग्रेजी शब्दों को बोलने से असत्य, सत्य नहीं हो जाता है। मैं सबको बताना

चाहता हूँ कि कोई भी इसका विरोध कर रहा हो, मगर सत्य यह है कि 1991 से लेकर 2015 तक यही व्यवस्था चलती थी, इसमें हमने कोई फर्क नहीं किया है। मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि नई व्यवस्था आई है। कई सदस्यों ने कहा है कि मैं तो बोलना चाहता हूँ, लेकिन कहा गया है, इसलिए रिपीट करता हूँ कि दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम शुरू हो गया है। मान्यवर, हमें शासन-व्यवस्था के एक फ्रेमवर्क में चलना पड़ता है। अगर मैं मंत्री हूँ और मंत्री होने के नाते मेरे पास अधिकार हैं, तो दायित्व भी हैं। मैं किसी और के अधिकार का हनन नहीं कर सकता हूँ। मान्यवर, कई बार ऐसी व्यवस्थाएं आईं, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी चिदम्बरम जी खड़े हो गए थे। जब वे होम मिनिस्टर थे, तब क्या हुआ था? उन्होंने फाइल पर क्या लिखा है, मेरे पास वह भी है। मैं आपको वह बताऊँगा, परंतु मैं स्पष्टता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1991 के 2015 तक यह व्यवस्था जस की तस थी, जिसे बदलने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 2015 में कई परिपत्र लाए गए, जिसे nullify करने के लिए भारत सरकार ने सेवाओं को लेकर एक परिपत्र इश्यू किया था। उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय में भारत सरकार के पक्ष में फैसला आया। फिर उसे सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ को रेफर कर दिया गया। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया, जिसका सार है कि मंत्रिपरिषद के अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिस्थापित किया है। मान्यवर, वह दो जजेज़ की बेंच के पास गया, लेकिन वहाँ पर सहमति नहीं बनी और उसे फिर से खंडपीठ को रेफर कर दिया गया। 11 मई को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सेवाओं के मामले में अपना निर्णय दिया। यह जो निर्णय दिया गया है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह तय किया है कि भारतीय संघ को केवल तीन विषयों, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड पर ही कार्यकारी अधिकार प्राप्त हैं। सेवाओं का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहता है। हालांकि अनुच्छेद 239 एए को क्वोट करके, उसी जजमेंट में यह कहा गया कि "संसद को दिल्ली राजधानी क्षेत्र के सभी विषयों पर और किसी भी क्षेत्र पर कानून बनाने का अधिकार है।"

मान्यवर, जो लॉयर होते हैं, वे बातों को बहुत खूबसूरत तरीके से रखने में माहिर होते हैं। एक ही अधिवक्ता एक बार एक धारा को डिफेंड करता है, तो वही अधिवक्ता दूसरी बार उसी धारा का विरोध करता है। हमें ऐसी महारथ हासिल नहीं है। हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे-से कार्यकर्ता हैं, इसलिए जो सच होता है, वही बोलते हैं।

मान्यवर, मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी को ध्यान से सुना। उन्होंने क्या किया, यह उन्हें सब मालूम है। मैं मानता हूँ कि उन्हें मालूम ही होगा, वे बड़े विद्वान वकील हैं। उन्होंने अनुच्छेद 239एए (7)(ए) को पढ़ा, जिसके तहत संसद को केंद्र सरकार के प्रावधानों को इफेक्ट देने या सप्लिमेंट करने के लिए कानून बनाने का पूरा अधिकार है। यह उन्होंने पढ़ा, मगर वे इसके ऊपर का अनुच्छेद 3बी में नहीं गए। मैं अब पढ़ता हूँ कि 3बी क्या है। अनुच्छेद 239 एए में दिल्ली के विषय में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत दिल्ली विधान सभा सहित संघ शासित प्रदेश है। इसके 239 एए (3)(बी) के अनुसार, दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र है या पूरा राज्य क्षेत्र है या उसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद का अधिकार है। मैं विनम्रता से इतना ही पूछना चाहता हूँ कि किसी भी विषय पर आता है, तो इसमें सर्विसेज़ आता है या नहीं आता है? सर्विस विषय है या नहीं है? मान्यवर, यह सदन यह भी ध्यान से सुने कि इससे आगे जाकर, 239AA(3)(c) के अनुसार, संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

दिल्ली की विधान सभा द्वारा बनाये गये किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का भी अधिकार दिया गया है। मान्यवर, यह हम लेकर नहीं आए हैं। यह कौन लाया है? आज जो राजनीतिक ज़रूरियात के कारण आप पार्टी की गोदी में बैठी है, वह कांग्रेस पार्टी यह संविधान संशोधन लेकर आई थी। यह हम लेकर नहीं आए हैं। अगर दिल्ली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, दिल्ली की असेम्बली के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, तो मान्यवर ...(व्यवधान)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL (Gujarat): Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*... It is an unparliamentary word. ...*(Interruptions)*... I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : माननीय सभापति जी, इनको करने में तकलीफ नहीं हुई, सुनने में क्यों तकलीफ होती है? ...(व्यवधान)... करते हैं तो सुनना पड़ेगा। ...(व्यवधान)... मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)... मान्यवर, केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप पार्टी का appeasement करने के लिए ये अपने ही लाए हुए कानून का विरोध कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI SHAKTISINH GOHIL: Sir, I have a point of order. The Minister cannot use those words. ...*(Interruptions)*... I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... Listen to me, Sir. ...*(Interruptions)*... I am on a point of order. ...*(Interruptions)*... The Minister cannot use this word. ...*(Interruptions)*...

विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे) : सर, आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर ...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : माननीय सभापति जी, ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, just a minute. ...*(Interruptions)*... Would you please raise your point of order?

श्री शक्तिसिंह गोहिल : सर, मैं प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर आता हूँ। Our Rule says, unparliamentary word cannot be used in this House. We have the book with the list, और उसी लिस्ट के हिसाब से किसी पार्टी को किसी के साथ जाने पर यह कहना कि "उसकी गोदी में बैठी है" यह वर्ड अनपार्लियामेंटरी है। ...(व्यवधान)... कल हम भी बोलेंगे। ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please take your seats. ...*(Interruptions)*... All of you, please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री शक्तिसिंह गोहिल : आप डेकोरम में विश्वास करते हैं ...(व्यवधान)...अगर आप डेकोरम कहते हैं तो वह डेकोरम हम भी मेंटेन करना चाहते हैं!...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, I have heard your point of order. ...*(Interruptions)*... One second. ...*(Interruptions)*... You are not to make a speech. I have heard your point of order. I reject your point of order. Take your seat. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : माननीय सभापति जी, यहाँ पर बहुत सारे सदस्यों ने बड़ी-बड़ी दुहाइयाँ दीं। संविधान की दुहाइयाँ दीं, डेमोक्रेसी की दुहाइयाँ दीं और अदालत के फैसले का सम्मान करने की दुहाइयाँ दीं। माननीय सभापति जी, मैं इनसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले अदालत के फैसले की बात करता हूँ। अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है, जब अदालत ने किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश दिया हो। इसमें स्थगन आदेश माँगा गया था, अदालत ने दिया नहीं है। दूसरी बात, अदालत के फैसले की अवमानना तब होती है, जब हम अदालत के फैसले के विरुद्ध कोई बिल लेकर आते हैं। यहाँ अदालत ने अपने फैसले में स्वयं कहा है कि दिल्ली संघ राज्य के लिए देश की संसद किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है।

माननीय सभापति जी, मैं सर्वोच्च अदालत के प्रति अति विनम्रता रखते हुए बताता हूँ कि कई फैसले ऐसे होते हैं, जो कानून की interpretation करते वक्त अदालत देती है, मगर आज की जनभावनाओं के अनुरूप वे नहीं पाए जाते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जिसमें संसद अदालत के फैसलों को बदलने के लिए कानून लेकर आए। मगर इस मामले में तो यह केस भी नहीं है। इस देश की संसद ने कई बार संविधान बदला, अदालत के फैसले की बात तो छोड़िए। अदालत के फैसले को neutralise करने के लिए संविधान के कई पैराग्राफ जोड़े गए हैं। यह संसदीय परंपरा है, जिसको अदालतों ने भी स्वीकार किया है। पहला संविधान संशोधन तब हुआ, जब पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी। Constituent Assembly ने पहला संविधान संशोधन पारित किया था, तब से संविधान बदलने की प्रक्रिया चली है। मैं आपको बताता हूँ कि हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी लाने के लिए नहीं लाए हैं, हम संविधान में बदलाव उस वक्त की तत्कालीन राष्ट्रपति की सदस्यता जो चली गई थी, उसको पुनर्जीवित करने के लिए नहीं लाए हैं। इमरजेंसी लाकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में...(व्यवधान)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : खरगे जी, आप सुनिए। ...(व्यवधान)... मैंने धैर्यपूर्वक सुना है। ...(व्यवधान)... कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है!...(व्यवधान)... आप लोकतंत्र की क्या बात करते हैं!...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, ...*(Interruptions)*... please take your seat; nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, the hon. Home Minister was

throughout present by and large and he heard everyone very patiently. Now, it is his right and duty as Home Minister to address the House. ...*(Interruptions)*... Is something wrong? ...*(Interruptions)*... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Hon. Home Minister, please continue.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं जल्दबाजी में प्रधान मंत्री की जगह राष्ट्रपति बोल गया था, इसलिए मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम यह बिल लेकर नहीं आए हैं, बल्कि संविधान की भावनाओं को संभालने के लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। सर, जब इमरजेंसी लायी गई, उस वक्त हम बहुत छोटे थे।...*(व्यवधान)*..

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक) : आप बिल पर बोलिए।...*(व्यवधान)*...

श्री अमित शाह: यह बिल पर ही है।...*(व्यवधान)*... मान्यवर, जब ये लोग बिल पर चर्चा कर रहे थे, तब मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो अब मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है? इमरजेंसी के समय तीन लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े-बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। ...*(व्यवधान)*... सारे अखबारों पर censorship लगा दी गई।...*(व्यवधान)*... इंडियन एक्सप्रेस को अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा और ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं।

सभापति जी, इन्होंने पूछा कि आप अध्यादेश लाए थे, तो बहुत सुंदर क्रोनोलॉजी देश के मतदाताओं को गुमराह करने के लिए ली हुई थी। ...*(व्यवधान)*... मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा और फिर से उनकी भावनाएं उद्बेलित होंगी, लेकिन मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। महोदय, उन्होंने कहा कि 11 मई को फैसला आया, 17 मई को ऑर्डिनेंस लाया गया और 19 मई को सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पर जाना था, तब ऑर्डिनेंस को घोषित किया गया। सभापति महोदय, यह क्यों करना पड़ा, इसका मुझे justification देना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर दो विरोध दर्ज हुए हैं। परंतु मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं? जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते-करते गया है, उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि वेकेशन बेंच होती है। वेकेशन के अंदर भी अगर उचित लगे, तो मुख्य न्यायाधीश महोदय संवैधानिक खंडपीठ भी बना सकते हैं और स्थगन आदेश दे सकते हैं। वेकेशन के बाद क्या हुआ - ऑर्डिनेंस आ गया। वेकेशन के बाद चैलेंज किया और चैलेंज करके स्थगन आदेश मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और आज भी नहीं दिया है, तो मैं बिल लेकर आया हूँ। अब यह क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है, यह बताइए। मगर यहां चर्चा करके एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम तो दिल्ली की जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए यह लाए हैं, हमें इसलिए जल्दी करनी पड़ी।

मान्यवर, मैं आगे बताता हूँ कि यह जल्दी क्यों करनी पड़ी। मेरे पास भी एक क्रोनोलॉजी है। उसको धैर्य से सुनना चाहिए। मान्यवर, 11.05.2023 को यह फैसला आया। फैसला लगभग तीन-चार बजे के आसपास घोषित हुआ। मान्यवर, फैसला क्या था? फैसला यह था कि संवैधानिक खंडपीठ ने एक फाईंडिंग दी है। यह रेग्युलर बेंच के सामने जाएगा, रेग्युलर बेंच हियरिंग करेगी, बाद में इस पर आदेश पारित करेगी और तब जाकर यह फैसला लागू होगा।

फैसला तो अभी लागू भी नहीं हुआ है। श्रीमान राघव चड्ढा जी, जल्दबाजी किसे कहते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ। जल्दबाजी इसको कहते हैं कि अभी आदेश तो पारित भी नहीं हुआ था, पर एक नीति विषयक फैसला लिया। दो जजों की खंडपीठ द्वारा उसे सुनकर आदेश पारित किया जाना था, इसके बाद इम्प्लिमेंटेशन होना था। 11.05.23 को शाम को 5.30 बजे एक नोट सर्कुलेट कर दिया गया कि आज साढ़े पांच बजे तक पात्र अधिकारियों की सूची के साथ जो इस पद पर तैनात हो सके, सेक्रेटरी सर्विस के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। ट्रांसफर करना भी चालू कर दिया। अभी तो दो जजों की खंडपीठ का जजमेंट भी नहीं आया और ट्रांसफर करना चालू कर दिया। सोशल मीडिया में घोषणा कर दी। अभी तो एप्लिकेशन मंगाई है, नोट मंगाया है। सोशल मीडिया पर कह दिया कि श्री आशीष माधवराव मोरे को बदल दिया गया है। आप कैसे बदलोगे? मान्यवर, इसके आगे मैं और बताना चाहता हूँ। इसके बाद सतर्कता विभाग के मिनिस्टर ने सभी सहायक निदेशकों को आदेश दे दिया कि विशेष सचिव सतर्कता को रिपोर्ट न करिए, उनको डायरेक्ट रिपोर्ट कीजिए। अब जो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन समझाते थे, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर सीधा मंत्री को रिपोर्ट करे - ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह एडमिनिस्ट्रेशन है? किसके साथ मैं खड़े रहे हो? दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ा। मान्यवर, इसके बाद सतर्कता विभाग के मंत्री जी ने 13 तारीख को आदेश दे दिया कि मैनुअल के पैरा 2.22 का उल्लंघन किया, जिसमें विजिलेंस सेट-अप के कार्यबल सीवीओ के परामर्श से संगठन के प्रमुख संगठन में प्रभावी सतर्कता प्रबंधन के लिए यह कार्यबल तैनात करने के निर्देश बनाने के लिए सूचना कर दी। अब मुझे यह समझ नहीं आता है कि अभी तो संवैधानिक खंडपीठ ने खंडपीठ को यह आदेश भेजा है, इंटरप्रेटेशन भेजी है। इस पर दो जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करनी है और फिर जजमेंट देना है। यहां पूरा इम्प्लिमेंटेशन कर दिया गया। विज्ञान का नियम है कि विश्व में कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है। यह विजिलेंस विभाग को ही क्यों टारगेट बनाया गया? ट्रांसपोर्ट को नहीं बनाया गया, सफाई विभाग को नहीं बनाया गया, जल बोर्ड, जल विभाग को नहीं बनाया, रोड एंड बिल्डिंग को नहीं बनाया गया, सोशल वेलफेयर को नहीं बनाया गया। क्या ये सारे विभाग शासन के साथ जुड़े हुए नहीं हैं? किसी में जल्दी नहीं हुई, सिर्फ विजिलेंस में हुई। मैं सदन में इसका कारण बताना चाहता हूँ कि विजिलेंस में जल्दी क्यों हुई। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइलें विजिलेंस में पड़ी थीं। मान्यवर, आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोल कर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है। मान्यवर, केशव राव जी कहते थे कि हम तो न इनके साथ हैं, न उनके साथ हैं, न आप से जुड़ाव है, न उनसे जुड़ाव है। बीआरएस वालों का भी इस शराब घोटाले के साथ, आप पार्टी के साथ जुड़ाव है, इसीलिए आप वहाँ बैठे हैं। मान्यवर, एक फाइल आबकारी घोटाले वाली थी। मान्यवर, दूसरी फाइल थी, यहाँ पर एक शीश महल बना है, बहुत बड़ा शीश महल है।

SHRI DEREK O'BRIEN: Is this parliamentary? Sir, when we speak, you stop us. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : एक मिनट, एक मिनट। ...*(व्यवधान)*... मान्यवर, शीश महल में असंसदीय क्या है? ...*(व्यवधान)*... अभी मैं आगे तो बोला ही नहीं हूँ। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: What is your objection? ...*(Interruptions)*... What is the objection you are raising? ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, under Rule 258. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sorry, let us not make an issue out of non-issues. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Minister.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं कहता हूँ कि शीश महल में क्या असंसदीय है, इस पर ज़रा खड़े होकर चर्चा करें। वैसे ही व्यवधान करने के लिए खड़े हो जाते हैं! ...*(व्यवधान)*... ज़रा समझाइए। ...*(व्यवधान)*... मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि ...*(व्यवधान)*... मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इसमें असंसदीय क्या है, इस पर चर्चा की जाए। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : मेरा निवेदन है ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Take your seats. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek O'Brien, you deliberately got up only to create disturbance. ...*(Interruptions)*... Only to create disruption. It will not be accepted. ...*(Interruptions)*...

AN HON. MEMBER: Sir, the Leader of the House ...*(Interruptions)*...

सभा के नेता (श्री पीयूष गोयल) : सर, आपने पिछली बार भी इस विषय के ऊपर बड़ी गंभीरता बताई थी कि माननीय सदस्य इस सदन में यह जो थिएट्रिक्स करने का सिलसिला करते हैं, ...*(व्यवधान)*... अगर इनको हिम्मत है, ...*(व्यवधान)*... अगर इनका इरादा है, ...*(व्यवधान)*... शीश महल के ऊपर चर्चा करने का, तो हम अभी के अभी शीश महल के ऊपर चर्चा करने ...*(व्यवधान)*... शीश महल के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*... शीश महल के ऊपर पूरी चर्चा हो जाए। ...*(व्यवधान)*... जो लोग शीश महल के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, I was hearing the hon. Home Minister with total focus and there was nothing in the discourse of the hon. Home Minister which could have invited the kind of disruption which Mr. Derek O'Brien did. I urge the hon. Members. ...*(Interruptions)*... We have

been decorous during the whole day. Don't act on a plan. Let us believe in the decorum. ...*(Interruptions)*... Hon. Home Minister now.

श्री अमित शाह : माननीय सभापति जी, जिसको निशाना बनाया गया, मुख्य मंत्री के नए बंगले पर हुए अवैध खर्च के लिए और आवंटित की गई राशि से 6 गुणा ज्यादा खर्च के लिए जाँच की फाइल भी उसी विजिलेंस के ऑफिस में थी। माननीय सभापति जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि सरकार के नहीं, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए दिल्ली सरकार का जो खर्च हुआ है, वह 90 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से नहीं बल्कि 'आप' पार्टी से वसूल करके दिल्ली सरकार के खजाने में डाला जाए। इसकी जांच भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने की थी।

मान्यवर, दिल्ली सरकार के पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, इसका मतलब यह है कि पुलिस नहीं है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो नहीं सकता है, मगर इन्होंने एक फीडबैक यूनिट बनाई और उस फीडबैक यूनिट से राजनीतिक जानकारियां इकट्ठी करनी शुरू कीं। इसके खिलाफ एक जांच चली और उस जांच की फाइल भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दी।

मान्यवर, बीएसईएस और बीवाईपीएल, ये दो विद्युत वितरण कम्पनियां हैं, जिनका 21,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार की तरफ बकाया है, यानी यह रुपया दिल्ली सरकार को उन्हें देना है, लेकिन उनको 2,000 करोड़ रुपये की पेमेंट कर दी गई। इसकी जांच भी चल रही है और उस जांच की फाइल भी इसी विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास थी।

मान्यवर, आधी रात को जो इधर-उधर कागज़ खोजने का प्रयास किया गया है, वही इमरजेंसी थी। चिदम्बरम साहब को शायद यह बात मालूम नहीं थी, इसीलिए वे पूछ रहे थे कि क्या इमरजेंसी थी, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यही इमरजेंसी थी। मान्यवर, अगर हम यह न करते तो सारे घोटालों की फाइलों को गुम करने का एक नया घोटाला रजिस्टर करना पड़ता, इसीलिए इमीडिएटली हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, जो संविधान सम्मत है। संविधान में ऑर्डिनेंस की व्याख्या और अधिकार ऐसी स्थितियों के लिए ही दिए गए हैं। सबको मालूम है कि जब ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, तो छः माह के अंदर या सदन जब सबसे पहले मिलता है, उस समय सदन के सामने उसको रखना पड़ता है, इसीलिए आज मैं इसको लाया हूँ। अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है, आप बताइए? आप पांच घंटे से इतनी * कर रहे हैं, आप ही बताइए कि इसमें गैर संवैधानिक क्या है?...*(व्यवधान)*...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे: इसको * नहीं बोलते।...*(व्यवधान)*... This is a debate. हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं, * नहीं रहे।

श्री अमित शाह : मान्यवर, एक सैकंड, खरगे साहब की बात सही है, * शब्द निकाल दीजिए। आप बार-बार रेपिटिशन के साथ इसको दोहरा रहे हैं, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ। मान्यवर, खरगे साहब की बात सही है।

* Expunged as ordered by the Chair.

मान्यवर, अभी विधान सभा के अधिकारों की बात की जा रही थी। हम सब इस सम्माननीय सदन के सदस्य हैं। जब राष्ट्रपति महोदया सदन को आहूत करती हैं, तो उसके बाद इसका सत्रावसान भी होता है। सदन को चलाने की, इस संविधान की बनाई हुई एक कार्यरिती है, लेकिन पूरे देश में एक ही असेम्बली ऐसी है, जिसका आज तक कभी सत्रावसान ही नहीं हुआ। उसका सत्रावसान होता ही नहीं है, केवल स्पीकर साहब सदन को मुलतवी कर देते हैं। जब कभी राजनैतिक भाषण करना होता है, तो सदन की बैठक बुलाकर, सदन को तीन घंटे चलाकर, उसे फिर से बन्द कर दिया जाता है। दिल्ली असेम्बली एक ऐसी असेम्बली है जिसका आज तक कभी सत्रावसान ही नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसे चल सकता है?

माननीय सभापति जी, विधान सभा के Procedure and Conduct of Business Regulations, 1997 के नियम 70 में विधान सभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करने का अधिकार दिया गया है। इस अधिकार का देश की किसी भी असेम्बली के स्पीकर ने इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में हुआ है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। विधान सभा को या संसद को स्थगित किए बिना चलाना, कभी सत्रावसान नहीं करना, वे हमेशा सेशन में ही रहेंगे, अगर यह सब उचित है, तो कांग्रेस पार्टी को जरूर इनका समर्थन करना चाहिए।

मान्यवर, अगर वे सेशन में ही रहेंगे, तो कानून कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह तो आप कैबिनेट बुला ही नहीं सकते। वहां की क्या स्थिति है, इसको आप समझिए, 2020 में दिल्ली विधान सभा में सत्रों की संख्या कितनी हुई - केवल एक - बजट सत्र! 2021 में सत्रों की संख्या कितनी हुई - केवल एक - बजट सत्र! 2022 में कितनी बार सदन को बुलाया गया - केवल एक बार - बजट सत्र! 2023 में कितनी बार सदन को बुलाया गया - केवल एक बार - बजट सत्र! उसके अलावा असेम्बली की जरूरत ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

9.00 P.M.

मान्यवर, इसके अलावा असेम्बली की जरूरत ही नहीं है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ये किस तरह से असेम्बली चला रहे हैं? मान्यवर, आज ये कैबिनेट और कैबिनेट के अधिकारों की भी दुहाई दे रहे हैं। 2022 में कैबिनेट की सिर्फ 6 बैठकें हुई हैं। एक साल में सिर्फ 6 बैठकें हुईं। इनमें से 3 बजट रिलेटेड हैं और 3 एक बिजली कम्पनी को सहायता करने के लिए बुलाई गईं और बाकी एक भी मीटिंग कैबिनेट की नहीं हुई। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, 2023 में सिर्फ 2 ही कैबिनेट मीटिंग्स बुलाई गईं और दोनों बजट के काम-काज के लिए बुलाई गईं। अब आप क्या कैबिनेट की दुहाई देते हैं, क्या उसके अधिकारों की दुहाई देते हैं? न तो कैबिनेट मिलती है, न सदन मिलता है और आप हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हैं! ...**(व्यवधान)**... भाई, ऐसा कभी नहीं होता है।

मान्यवर, ये जो कहते हैं कि क्या विशेष हुआ था, तो मैं समझाता हूँ कि क्या विशेष है। मान्यवर, IRTS, AIIMS, Delhi Metro, IIT Delhi, UR जैसी ढेर सारी योजनाओं का clearance नहीं मिलने के कारण ये इंस्टीट्यूशंस और ये डेवलपमेंटल काम दिल्ली की जनता को नहीं मिल पा रहे हैं, वे राजनीतिक रूप से इनको रोक कर बैठे हैं। मोदी जी 5जी टेक्नोलॉजी लाने का रास्ता सुगम करना चाहते थे। हमारे अश्वनी भाई बार-बार पत्र लिखते हैं, 2016 से झगड़ा चल रहा है,

मगर इस पर कार्रवाई नहीं की। इनको ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का समय है, मगर 5जी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करने के लिए भारत सरकार को जो सहायता चाहिए, वह करने का समय नहीं है। माननीय सभापति जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जिनको अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। दिल्ली के अन्दर 1991 से 2015 तक यही व्यवस्था थी, इसी तरह से ट्रांसफर-पोस्टिंग होती थी और कोई कानून या कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।

मान्यवर, मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सदन के कुछ सदस्यों ने कहा कि यह बिल संविधान-सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को यह बिल कानून के द्वारा समाधान सुझाने का प्रयास है। मान्यवर, मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अध्यादेश और बिल के अन्दर थोड़ा फर्क है। अध्यादेश के अन्दर धारा 3ए है, जो बताती थी कि दिल्ली विधान सभा एंट्री 41, यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी। यह अध्यादेश कह रहा था। फिर हमने इसका ध्यान से, बारीकी से अध्ययन किया, काफी लोगों की राय भी ली और लगा कि यह संविधान का एकदम वायलेशन तो नहीं है, मगर ग्रे एरिया है। इसलिए मैं जो बिल लेकर आया हूँ, विधेयक लेकर आया हूँ, इसमें धारा 3ए को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए question of violation does not arise. धारा 3ए को हमने हटा लिया है। अध्यादेश से हटाकर बिल में धारा 3ए को नहीं डाला गया है। अब दिल्ली की विधान सभा को भी सेवा में कानून बनाने का अधिकार है। आप कानून बना सकते हैं, मगर अभी केन्द्र का जो कानून बना है, इससे contradictory कानून नहीं बना सकते हैं, इतना ही है।

माननीय सभापति जी, एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि मंत्रियों के अधिकार अफसरों को दे दिये गये। कैबिनेट के अन्दर ऑफिसर्स कैबिनेट नोट भेजेंगे। माननीय सभापति जी, मैं तो दो सरकारों में रहा हूँ - गुजरात सरकार में रहा हूँ और अभी मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी as a Minister, कैबिनेट नोट साइन नहीं किया है, मैंने फाइल साइन की है, मगर कैबिनेट नोट तो सेक्रेटरी ही भेजते हैं। शायद आप लोगों के राज्य में मंत्री के सिगनेचर से वह जाती है - मुझे मालूम नहीं है। ...**(व्यवधान)**... अगर ऐसा कोई दूसरा राज्य है, तो यह भी सदन को बताना चाहिए।

माननीय सभापति जी, मैं खंडवार जवाब देना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पार्ट IV A को उद्धृत कर के जो सब लोग बोल रहे थे, इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें दिये गये बहुत सारे प्रावधान Transaction of Business Rules, 1993 में पहले से मौजूद हैं। ये 1993 से हैं, जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। हम कुछ नया नहीं लाए हैं, मगर वे रूल्स को नहीं मानते थे, इसलिए रूल्स को एक्ट का हिस्सा बनाया गया है। 1993 से ही दिल्ली इन रूल्स के हिसाब से चलती है। इसमें फुल स्टॉप, कौमा का फर्क नहीं है। जो Transaction of Business Rule, 1993 है, जिनको कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, हमने उनको ही एक्ट में समाविष्ट किया है। यह इसलिए करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसी सरकार चुन कर आई, जो रूल्स को मानती ही नहीं है, इस कारण से इसको एक्ट में डालना पड़ा।

मान्यवर, ये जो सारे अधिकार हैं, अधिकारों का बँटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है - यह सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है, तो उसे

इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूँ, मगर मुझे यह मालूम है कि ये समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस आप पार्टी का जन्म ही काँग्रेस पार्टी का विरोध करके हुआ है। लगभग तीन टन जितनी गालियाँ काँग्रेस पार्टी की सरकार को दीं - ऐसा बोल कर वे सरकार में आए और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए काँग्रेस पार्टी का समर्थन ले रहे हैं। काँग्रेस पार्टी को भी लग रहा है कि चलो, ठीक है, हमारा गठबंधन बन जाएगा। खरगे साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आज यह बिल पास होगा, केजरीवाल जी पलट जाएँगे, ठेंगा दिखाएँगे और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका लक्ष्य हम नहीं हैं, बल्कि उनका लक्ष्य काँग्रेस पार्टी है। ज़रा इनका चुनावी इतिहास देखिए। उनका लक्ष्य आप हैं, वे आपको नहीं छोड़ेंगे। ...**(व्यवधान)**... खैर, वह आपको देखना है।

मान्यवर, ये सारे लोग मुझे सिद्धांतों की दुहाई दे रहे थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तृणमूल काँग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एक मंच पर हैं, तो वे किस सिद्धांत के तहत हैं? ...**(व्यवधान)**... तृणमूल काँग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। ...**(व्यवधान)**... वे काँग्रेस पार्टी से इसलिए अलग हुए, क्योंकि नरसिम्हा राव जी ने कम्युनिस्ट पार्टी से हाथ मिला लिए थे। ...**(व्यवधान)**... और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वे इनके साथ हो गए। ...**(व्यवधान)**... ये काँग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ और एलडीएफ करके एक-दूसरे की जान लेने पर आमादा हैं और यहाँ ईलू-ईलू कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

मान्यवर, जेडीयू के नीतीश कुमार जी हैं, जिनकी राजनीति चारा घोटाले का विरोध करके हुई। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी कहते थे कि मैं पान का पनवाड़ी बन जाऊँगा, मगर लालू जी के साथ नहीं जाऊँगा। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ये साथ में आ गए हैं। ...**(व्यवधान)**... ये साथ में क्यों आए हैं? ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाएंगे, तो कुछ शोर तो कर पाएँगे। ...**(व्यवधान)**... मगर मैं आज बताना चाहता हूँ कि और 5-10 लोगों को जोड़ लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, मई, 2024 में फिर से नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनेंगे। ...**(व्यवधान)**...

SHRI K.C. VENUGOPAL(Rajasthan): Sir, please allow the LoP to speak.
...**(Interruptions)**...

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He has yielded.

MR. CHAIRMAN: I know. ...**(Interruptions)**.. Don't get agitated. We will have a good transaction of Business. Yes, the Leader of the Opposition, what is your point of order?

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, आप मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...**(व्यवधान)**... शाह साहब ऑर्डिनेंस पर बोल रहे हैं, यह ठीक है, लेकिन वे ऑर्डिनेंस को छोड़कर हमारी इमरजेंसी से लेकर आगे 2024 में... ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... सर, इनमें से

आधे काँग्रेस में ही थे। ...**(व्यवधान)**... सर, आप भी थे। ...**(व्यवधान)**... शाह साहब अच्छी भाषा में बोलते हैं। ...**(व्यवधान)**... उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अच्छे शब्दों का उपयोग किया जाता है, वैसे ही वे भी बहुत अच्छे तरीके से व्याकरणबद्ध हिन्दी बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... यह तो ठीक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं! वे यहाँ से 2024 के इलेक्शन के लिए संदेश दे रहे हैं कि हम जीतेंगे। ...**(व्यवधान)**... वे अपोजिशन के अगेंस्ट टीका-टिप्पणी कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... आप अपने विषय पर बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : माननीय खरगे जी, आप डिबेट में करीब-करीब पूरे समय रहे हैं, पर आप कुछ समय नहीं थे। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप रिकॉर्ड देखिए। सभी सदस्यों ने अपने भाषणों के अंदर जो आयाम अपनाया है, यह उसी का रिस्पांस है। ...**(व्यवधान)**... Hon. Home Minister.

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : यह नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमित शाह : खरगे साहब, मैं ध्यान रखूँगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I have a point of order.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं खरगे जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे सदन की उच्च परंपराओं का ध्यान दिलाया। ...**(व्यवधान)**... मैंने सदन की परंपराओं का ध्यान रखते हुए, subtle way में अपनी बात कही थी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM: It is my right.

श्री अमित शाह : मान्यवर, मेरा मैसेज ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन खरगे जी ने पूरा मैसेज डाल दिया, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM: It is my right.

श्री अमित शाह : मान्यवर, संजय राउत जी ने कहा कि मोदी विदेश जाते हैं, तो उनका सम्मान होता है। ...**(व्यवधान)**... कोई उनका ओटोग्राफ माँगता है, कोई उन्हें झुककर नमन करता है। ...**(व्यवधान)**... कोई उनसे अपॉइंटमेंट माँगता है। ...**(व्यवधान)**... कोई मोदी इज़ दि बॉस कहता है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI BINOY VISWAM: Sir,....*(Interruptions)*...

श्री अमित शाह : यह सम्मान मोदी जी का नहीं है, बल्कि देश का सम्मान है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में कोई मुग़ालता नहीं है कि यह नरेन्द्र मोदी व्यक्ति का सम्मान है, यह नरेन्द्र मोदी

नाम के देश के प्रधान मंत्री का सम्मान है। इतने सारे देशों के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधान मंत्री को सम्मान देते हैं, यह देखकर आप भी ज़रा सम्मान देना चालू करिए, तो थोड़ा अच्छा रहेगा।...(व्यवधान)...

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के दो सदस्यों ने मेरी पार्टी का उल्लेख देकर कहा कि मेरी पार्टी का आजादी के आंदोलन में कोई इतिहास नहीं है, हिस्सा नहीं है। सुनिए, सुनिए। मैं उनके एक व्यावहारिक जनरल नॉलेज पर क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ, मतलब institution के नाते कहता हूँ कि जिस पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वह आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकती थी?...(व्यवधान)... हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ, हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर हमारे कई ऐसे फाउंडर मेम्बर्स थे। आज बंगाल अगर भारत में है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है। अगर आज कश्मीर भारत में है तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है।...(व्यवधान)...

मान्यवर, ये कह रहे थे कि नागपुर से इशारा आता है। ठीक है भाई, चलो एक सेकंड के लिए मैं इनकी बात मान लूँ। नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूँ, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रशिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रशिया और चीन से इशारा लेती थी।...(व्यवधान)... मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है!...(व्यवधान)... इनको यह ठीक नहीं लगता। मान्यवर, चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिल्ली के लिए भी बीजेपी का अधिकार नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की दोनों बार सरकार नहीं आई। अगर यही सिद्धांत है, तब आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। आपके न तो संसद सदस्य हैं और न राज्य सभा में कोई सदस्य है। कम से कम सातों संसद सदस्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर इसी थ्योरी को मानें तो विपक्ष के नेता ढेर सारे राज्यों के लिए ही नहीं बोल पाएँगे। वे यूपी के लिए नहीं बोल पाएँगे, बिहार के लिए नहीं बोल पाएँगे, पश्चिमी बंगाल के लिए नहीं बोल पाएँगे, ओडिशा के लिए नहीं बोल पाएँगे, नॉर्थ-ईस्ट के लिए नहीं बोल पाएँगे। इस सदन का हर सदस्य देश के ज़र्रे-ज़र्रे के लिए, चप्पे-चप्पे के लिए बोल सकता है। ये किस तरह से देश के गृह मंत्री को restrict करना चाहते हैं? मान्यवर, मैं सदन का सदस्य हूँ तो भी देश के किसी भी हिस्से के लिए चिन्ता करने का मेरा अधिकार है और संविधानदत्त अधिकार है। मान्यवर, यह किस प्रकार की बात इतने सीनियर व्यक्ति करते हैं?...(व्यवधान)...

कई माननीय सदस्य : मणिपुर।...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : मान्यवर, मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए मैं तैयार हूँ।...(व्यवधान)... मैं आज भी कहता हूँ कि अभी 11 तारीख बाकी है। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छिपाना आपको है, जो चर्चा होने नहीं देते हैं।...(व्यवधान)... आपको छिपाना है। मान्यवर, अगर 11 तारीख को चर्चा के लिए खरगे जी कह दें, मैं कहता हूँ कि ये इसी तरह से सुन नहीं पाएँगे।...(व्यवधान)...इसीलिए ये मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं।...(व्यवधान)...मान्यवर, उनको मालूम है कि Business Advisory Committee समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूँ, 11 तारीख को...(व्यवधान)... एक सेकंड।...(व्यवधान)...

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक) : नियम 267 के अंतर्गत चर्चा हो।...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : मैंने सुन लिया।...(व्यवधान)... आप बैठिए।...(व्यवधान)...मान्यवर, मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। वे नियम 267 के तहत यह चर्चा चाहते हैं।...(व्यवधान)...एक सेकंड। आप बैठ जाइए। वे नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं, जिसमें मतदान का प्रावधान है। मान्यवर, यह प्रावधान क्यों बना है? जब कोई सरकार बजट के तुरंत बाद अल्पमत में आ जाए और कोई बिल ही न लाए तो राज्य सभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए राज्य सभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसके लिए यह रूल लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल्स लेकर आते हैं, गिरा दो बिल! बहुमत है?...**(व्यवधान)**...लो, यह बिल गिरा दो! ...**(व्यवधान)**...यह बिल गिरा दो! ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, देश की जनता देख रही है। मुझे बताइए, वोटिंग से क्या हासिल है? वोटिंग से क्या हासिल होगा? सवाल यह है कि मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करना चाहते हैं या वोटिंग से show of strength करना चाहते हैं! वोटिंग से show of strength करना है, तो हम डरते नहीं हैं। इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पाना हो जाएगा। मान्यवर, 11 तारीख को खरगे साहब चर्चा के लिए हाँ बोल दें, तो मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ।

श्री जयराम रमेश : आप कल डिस्कशन कीजिए।...(व्यवधान)...

श्री अमित शाह : जयराम जी, आपको भी मालूम है कि अभी डिस्कशन नहीं हो सकता है। आपको यह भी मालूम है कि कल अविश्वास का प्रस्ताव है। देश की जनता सुन ले कि 8, 9 और 10 तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव का समय है, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि आप 8,9 और 10 तारीख को चर्चा कीजिए। यह कांग्रेस पार्टी ही लेकर आई है। सभापति महोदय, मैंने सदन के पहले दिन ही आपको पत्र लिखा है कि मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूँ, मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और यह मेरा संवैधानिक दायित्व है।...**(व्यवधान)**... जब लोक सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो, तब ये चाहते हैं कि मैं इस सदन में बैठूँ। महोदय, वही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन इसके संवैधानिक महत्व के बारे में इन्हें मालूम नहीं है। मैं उस सदन का सदस्य हूँ और मुझे वहाँ रहना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 11 तारीख में क्या बुराई है? क्या बुराई है 11 तारीख में!...**(व्यवधान)**... सर, ये चर्चा से भाग रहे हैं, ये चर्चा नहीं चाहते हैं। ये चर्चा नहीं होने देते हैं।...**(व्यवधान)**...इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इन्हें चर्चा नहीं करनी है और जब चर्चा करें, तब इन्हें बोलकर भाग जाना है। अच्छा है कि आज कम से कम एकता दिखाने के लिए, वोटिंग करने के लिए ये लोग बैठे हैं। चलिए, उसी बहाने से बैठकर संविधान के नियमों के हिसाब से, संसद के नियमों के हिसाब से चर्चा की, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा पूरा सदन से निवेदन है कि मैं जो विधेयक लेकर आया हूँ, उसको पारित किया जाए।

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I shall now put the Statutory Resolution moved by Shri A.D. Singh to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Tiruchi Siva for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha to vote.

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Dr. John Brittas for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Raghav Chadha for reference of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha to vote.

श्री अमित शाह : मान्यवर, यह एक बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, दोनों सम्माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने इस मोशन को साइन नहीं किया। अब यह जांच का विषय है कि मोशन कैसे साइन हुआ। ...**(व्यवधान)**... राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है, यह जांच का विषय है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ऐसे नहीं चलता है। अब यह मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है ...**(व्यवधान)**... यह सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। ...**(व्यवधान)**... मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मेरा आपसे निवेदन है कि अभी दोनों सदस्यों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिए जाएं और बाद में इसकी जांच की जाए कि यह कैसे हुआ?

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I have a point of order. ...**(Interruptions)**... I would like to draw your attention to Rule 72(2). It says, "No member shall be appointed to a Select Committee if he is not willing to serve on the Committee. The mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to

serve on the Committee." No such discussion has been done by me. ...*(Interruptions)*... My name has been taken without my permission. ...*(Interruptions)*... This is a matter of privilege. ...*(Interruptions)*... This is completely wrong. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, प्लीज़, अपनी सीट्स पर बैठें। ऑलरेडी चार सदस्यों ने यह कम्प्लेन्ट भेजी है and this will be enquired. ...*(Interruptions)*... इसकी जांच होगी कि यह कैसे हुआ। ...*(व्यवधान)*...

श्री अमित शाह : मान्यवर, इन पांचों सदस्यों का नाम आसन की ओर से उद्धोषित किया जाए या उनको बोलने की मंजूरी दी जाए। इसका रिकॉर्ड बनाया जाए। मान्यवर, यह प्रिविलेज का मामला है। ...*(व्यवधान)*... इसको प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए। हम तो यहां चर्चा कर रहे थे कि फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार में चल रहा है, यह इस सदन की कार्यवाही में फर्जीवाड़ा है। ...*(व्यवधान)*...

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I want to say something. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak. ...*(Interruptions)*... Only your intervention will go on record.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I have not given my name. ...*(Interruptions)*... I did not sign anywhere. It is a misuse. ...*(Interruptions)*... It is a privilege issue. Somebody has misused my name. ...*(Interruptions)*... Action should be taken against him. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Konyak ji.

SHRIMATI S. PHANGNON KONYAK (Nagaland): Sir, I wish to say something. Under Rule 72(2), I object to it. I also understand that the hon. Member thinks he is smart. ...*(Interruptions)*... I accept that but I would appreciate if he would not undermine another Member by mentioning her name without her consent. I object to it. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों के नाम उनकी सहमति के बगैर दिए गए हैं, उसकी जांच होगी। ...*(व्यवधान)*... उसकी जांच होगी। Now, I will read the operating para. ...*(Interruptions)*...

श्री नरहरी अमीन (गुजरात) : सर, मेरा नाम फर्जी तरीके से लिखा है। ...*(व्यवधान)*... सर, मेरा नाम पुकारिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति : मैंने आपका नाम लिया है।...*(व्यवधान)*... Please. ...*(Interruptions)*... I shall now put motion moved by Shri Raghav Chadha for reference of the Bill to a Select Committee to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by Shri Amit Shah. The question is:

"That the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 3, there are eight Amendments; Amendment (No.11) by Shri Elamaram Kareem; Amendments (Nos. 37 to 39) by Shri P. Wilson; Amendments (Nos. 43 and 44) by Prof. Manoj Kumar Jha; and Amendments (Nos. 57 and 58) by Shri A.A. Rahim.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendments?

CLAUSE 3 - AMENDMENT OF SECTION 41

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

- (No.11) That at page 2, line 9, *for* the words, "act in his sole discretion", the words, "act in accordance with the advice of the Council of Ministers", be ***substituted***.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Wilson, are you moving your Amendments?

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move:

- (No.37) That at page 2, lines 5 and 6, *for* the words, "act in his sole discretion", the words, "act on the aid and advice of the Chief Minister and the Council of Ministers", be ***substituted***.

- (No.38) That at page 2, line 9, *for* the words, "act in his sole discretion", the words, "act on the aid and advice of the Chief Minister and the Council of Ministers", be ***substituted***.

- (No.39) That at page 2, lines 10 to 14, be ***deleted***.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving your Amendments?

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

- (No. 43) That at page 2, lines 5 and 6, be ***deleted***.

- (No. 44) That at page 2, lines 8 and 9, be ***deleted***.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim, are you moving your Amendments?

SHRI A. A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

- (No.57) That at page 2, lines 5 and 6, *for* the words, "act in his sole discretion", the words, "act in accordance with the advice of Council of Ministers", be ***substituted***.

- (No.58) That at page 2, line 9, *for* the words, "act in his sole discretion", the words, "act in accordance with the Council of Ministers", be ***substituted***.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No. 11) by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No. 37 to 39) by Shri P. Wilson to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No. 43 and 44) by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (No. 57 and 58) by Shri A.A. Rahim to vote.

The motion was negatived.

Clause 3 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 4, there are 69 Amendments; Amendments (Nos.1 to 4) by Shri Tiruchi Siva; Amendments (Nos.5 to 10) by Shri Sandosh Kumar P; Amendments (Nos.12 to 36) by Shri Elamaram Kareem; Amendment (No.40) by Shri P. Wilson; Amendments (Nos.45 to 52) by Prof. Manoj Kumar Jha; Amendments (Nos.53 to 56) by Shri M. Shanmugam; Amendments (Nos.59 to 79) by Shri A. A. Rahim.

Shri Tiruchi Siva, are you moving your Amendments?

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I move:

CLAUSE 4 - INSERTION OF NEW PART IV-A

(No. 1) That at page 4, after line 38, the following be inserted:-

"(aa) the Home Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Member, *ex officio*; and

(ab) the Minister of Education in the Government of the National Capital Territory of Delhi, Member, *ex officio*."

(No.2) That at page 5, line 7, **for** the words "two Members", the words "four Members", be **substituted**.

(No.3) That page 5, lines 41 to 44, be **deleted**.

(No.4) That page 6, lines 9 and 10, be **deleted**.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Sandosh Kumar P, are you moving your Amendments?

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I move:

(No.5) That at page 4, lines 7 and 8, **be deleted**

(No.6) That at page 4, line 11, **be deleted**.

(No.7) That at page 4, **after** line 38, the following be **inserted**, namely:-

"(aa) the Deputy Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Member, *ex officio*;

(ab) the Minister in-charge of the Department of General Administration in the Government of the National Capital Territory of Delhi, Member, *ex officio*;"

(No.8) That at page 5, line 7, **for** the word, "two", the word, "three", be **substituted**.

(No.9) That at page 6, lines 9 and 10, **for** the words, "decision of the Lieutenant Governor", the words, "majority decision of the Authority", be **substituted**.

(No.10) That at page 6, line 41, the words, ",in consultation with the Secretary concerned," be **deleted**.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendments?

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

- (No.12) That at page 2, line 28, **for** the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.13) That at page 3, lines 5 and 6, **for** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.14) That at page 3, lines 13 and 14, **for** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.15) That at page 3, lines 21 and 22, **for** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.16) That at page 3, lines 32 to 34, be **deleted**.
- (No.17) That at page 3, **for** lines 35 to 37, the following be **substituted**, namely:-
 "(o) "Secretary" means the Secretary of the Authority nominated by the Chief Minister of the elected Government of the National Capital Territory of Delhi."
- (No.18) That at page 3, line 39, the words, "and Group 'B' gazetted", be **deleted**.
- (No.19) That at page 3, line 42, the word, "non-gazetted", be **deleted**.
- (No.20) That at page 4, line 1, **for** the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.21) That at page 4, line 25, **for** the word, "Parliament", the words, "Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.
- (No.22) That at page 4, line 41, **for** the words, "Principal Home Secretary", the words, "the Secretary nominated by the Chief Minister of the elected", be **substituted**.
- (No.23) That at page 4, line 42, the words, "ex officio", be **deleted**.
- (No.24) That at page 5, line 8, **for** the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be **substituted**.

- (No.25) That at page 5, lines 15 and 16, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.26) That at page 5, line 46, after the word, "may", the words, ",as per the advice of the Council of Ministers," , be substituted.
- (No.27) That at page 6, lines 9 and 10, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.28) That at page 6, line 13, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.29) That at page 7, line 7, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers," , be substituted.
- (No.30) That at page 7, line 9, for the words, "to the Lieutenant Governor for his opinion through the Chief Minister and", the words, "for the opinion of Council of Ministers through", be substituted.
- (No.31) That at page 8, line 5, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.32) That at page 8, line 13, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.33) That at page 8, line 15, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.34) That at page 8, line 16, for the words, "each House of Parliament", the words, "Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.35) That at page 8, line 19, for the words, "both Houses", the words, "the Assembly", be substituted.
- (No.36) That at page 8, line 20, for the words, "both Houses", the words, "the Assembly", be substituted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P. Wilson, are you moving your Amendment?

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move:

- (No. 40) That at pages 2 to 8, Clause 4 be deleted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha, are you moving your Amendments?

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, I move:

- (No.45) That at page 4, line 1, for the words, "The Central Government may make rules", the words, "The Central Government, in consultation with the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi, may make rules", be substituted.
- (No.46) That at page 4, line 44, after the words, "present and voting", the words ",subject to the vote of the Chairperson being mandatory", be inserted.
- (No.47) That at page 5, line 5, after the word "over", the word "all" be inserted.
- (No.48) That at page 5, line 16, after the word "Government", the words "on the recommendation of the Government of National Capital Territory of Delhi", be inserted.
- (No.49) That at page 6, lines 9 and 10, for the words, "the decision of the Lieutenant Governor shall be final", the words "Lieutenant Governor shall accept the recommendations made by the Authority", be substituted.
- (No.50) That at page 7, line 48, after the words "Lieutenant Governor", the words "and the Chief Minister", be inserted.
- (No.51) That at page 8, line 5, after the word "Governor", the word "and ", be inserted.
- (No.52) That at page 8, line 6, the words, "and the Chief Secretary", be deleted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri M. Shanmugam, are you moving your Amendments?

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I move:

- (No.53) That at page 4, line 1, after the words, "Central Government may", the words, "in consultation with the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi", be inserted.
- (No.54) That at page 4, after line 38, the following be inserted, namely:-

"(aa) the Finance Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Member, *ex officio*,".

(No.55) That at page 6, lines 9 and 10, be ***deleted***.

(No.56) That at page 8, line 1, ***after*** the words, "Central Government may", the words, "in consultation with the Chief Minister of the Government of the National Capital Territory of Delhi," , be ***inserted***.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim, are you moving your Amendments?

SHRI A.A. RAHIM (Kerala): Sir, I move:

(No.59) That at page 2, line 28, ***for*** the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be ***substituted***.

(No.60) That at page 3, lines 5 and 6, ***for*** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be ***substituted***.

(No.61) That at page 3, lines 13 and 14, ***for*** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be ***substituted***.

(No.62) That at page 3, lines 21 and 22, ***for*** the words, "rule 4 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965", the words, "rules as prescribed by the elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be ***substituted***.

(No.63) That at page 3, lines 32 to 34, be ***deleted***.

(No.64) That at page 3, ***for*** lines 35 to 37, the following be ***substituted***, namely:-
 "(o) "Secretary" means the Secretary of the Authority nominated by the Chief Minister of the elected Government of the National Capital Territory of Delhi."

(No.65) That at page 4, line 1, ***for*** the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be ***substituted***.

- (No.66) That at page 4, line 25, for the word, "Parliament", the words, "Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.67) That at page 4, line 41, for the words, "Principal Home Secretary", the words, "the Secretary nominated by the Chief Minister of the elected", be substituted.
- (No.68) That at page 5, line 8, for the words, "Central Government ", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.69) That at page 5, lines 15 and 16, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.70) That at page 6, lines 9 and 10, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.71) That at page 6, line 13, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers," be substituted.
- (No.72) That at page 7, line 7, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.73) That at page 7, line 9, for the words, "to the Lieutenant Governor for his opinion through the Chief Minister and", the words, "for the opinion of Council of Ministers through", be substituted.
- (No.74) That at page 8, line 5, for the words, "Lieutenant Governor", the words, "Council of Ministers", be substituted.
- (No.75) That at page 8, line 13, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.76) That at page 8, line 15, for the words, "Central Government", the words, "elected Government of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.77) That at page 8, line 16, for the words, "each House of Parliament", the words, "Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi", be substituted.
- (No.78) That at page 8, line 19, for the words, "both Houses", the words, "the Assembly", be substituted.

(No.79) That at page 8, line 20, *for* the words, "both Houses", the words, "the Assembly", be *substituted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendments (Nos. 1 to 4) moved by Shri Tiruchi Siva to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 5 to 10) by Shri Sandosh Kumar P to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 12 to 36) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 40) moved by Shri P. Wilson to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 45 to 52) moved by Prof. Manoj Kumar Jha to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 53 to 56) moved by Shri M. Shanmugam to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendments (Nos. 59 to 79) moved by Shri A.A. Rahim to vote.

The motion was negatived.
Clause 4 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there are two Amendments, Amendment (No. 41) by Shri P. Wilson and Amendment (No. 42) by Shri Raghav Chadha. Shri P. Wilson, are you moving your Amendment?

SHRI P. WILSON : Sir, I move:

CLAUSE 5 - POWER TO REMOVE DIFFICULTIES

(No. 41) That at page 8, line 33, *for* the words, "each House of Parliament", the words, "Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi", be *substituted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Raghav Chadha, are you moving your Amendment?

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, I move:

(No. 42) That at page 8, Clause 5, be *deleted*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall first put Amendment (No. 41) moved by Shri P. Wilson to vote.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 42) moved by Shri Raghav Chadha to vote.

The motion was negatived.
Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Amit Shah to move that the Bill be passed.

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, division. ...*(Interruptions)*...

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Division. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, announcement for division. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, please. ...*(Interruptions)*... Division has been requested on the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023. ...*(Interruptions)*... You are all aware that division at any stage of the Bill can be pressed by the Members. ...*(Interruptions)*... And the Chair is also bound under the Rules to permit such a discourse provided the House is in order and the Members are in their respective seats. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*... I am constrained...*(Interruptions)*... If at any point during division it is noticed that the process of division is violated, as stated earlier, the Chair will be fully bound not to accede to the request for division pressed by the Members. ...*(Interruptions)*... I, therefore, urge upon you all to maintain decorum and discipline in the House during the entire process and cast your vote from your respective seats. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, you have desired division. ...*(Interruptions)*... Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... Secretary-General, switch on the division bell, please. ...*(Interruptions)*... Please keep silence. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर रहें।..**(व्यवधान)**.. आपसे अनुरोध है, कृपया सदन में शांति बनाए रखें।..**(व्यवधान)**.. वोटिंग प्रोसेस के लिए शांति और व्यवस्था बनाए रखें, प्लीज।..**(व्यवधान)**.. माननीय सदस्यगण, आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।..**(व्यवधान)**.. Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... Let the lobbies be cleared. ...*(Interruptions)*... अभी बैल बज रही है।..**(व्यवधान)**.. Please go back to your seats. अभी बैल बज रही है, बैल खत्म होते ही यह क्लीयर होगा।..**(व्यवधान)**..

कृपया सदन में शान्ति बनाये रखें। आपस में कोई बातचीत नहीं करें। प्लीज अपनी सीट्स पर बैठें।
